भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 382

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

30 आषाढ़, 1943 (शक)

मृत व्यक्तियों की आधार संबंधी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए बरती गई सावधानी

382. श्रीमती शांता क्षत्री :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मृत व्यक्तियों की आधार संबंधी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या सावधानी बरती गई है;

(ख) सरकार द्वारा मृत व्यक्तियों की आधार संबंधी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन कानूनों का ब्यौरा क्या है जो मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड के दुरुपयोग/उसके कारण होने वाली धोखाधड़ी से उनके कानूनी वारिसों को बचाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ) : सभी आधार धारकों का डेटा केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीडीआईआर) में अत्यधिक सुरक्षित डेटा वॉल्ट में उन्नत एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों के साथ सुरक्षित है। वर्तमान में, यूआईडीएआई आधार धारकों की मृत्यु संबंधी जानकारी का रखरखाव नहीं करता है।

आधार का उपयोग आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के तहत प्रावधानों द्वारा शासित होता है और पहचान/धोखाधड़ी सम्बंधित किसी भी दुरुपयोग को आईपीसी/आधार अधिनियम के तहत निपटान किया जाएगा।

****